अध्याय-5

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अध्याय 5

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

- चार वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या बीओसी (आरई एंड सीएस) कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष के बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई ***सामाजिक लेखापरीक्षा*** नहीं की गई (अक्टूबर 2023)।

संगठनों के अंदर आंतरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाता है कि इसकी विभिन्न घटक इकाइयों में गतिविधियां योजना के अनुसार चल रही हैं। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण किसी भी संगठन में कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पूर्वापेक्षा है और यह हितधारकों को इस बात का आश्वासन देता है कि इसके कार्यों की पर्याप्त निगरानी की जा रही है। विभाग/बोर्ड के आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र का ढांचा और प्रबंधन में देखे गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (मार्च 2018) पर, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की ***सामाजिक लेखापरीक्षा*** [1] के लिए एक रूपरेखा विकसित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष के बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई (अक्टूबर 2023)। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड अपनी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक एजेंसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में था।

(ii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता

[1] सामाजिक लेखापरीक्षा वह लेखापरीक्षा है जो लोगों द्वारा, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो योजना से प्रभावित हैं या इसके इच्छित लाभार्थी हैं और इस प्रकार इसे समुदाय द्वारा किसी कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन और उसके परिणामों के सत्यापन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या बीओसी (आरई एंड सीएस) कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि विभाग सन्निर्माण स्थलों के निरीक्षण को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाएगा ताकि यह पारदर्शी तरीके से किया जा सके। यह भी कहा गया कि डीआईएसएच, कर्मकारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में नियोजकों और कर्मकारों को सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा था जिसके लिए उसने सुरक्षा नियमावली तैयार की है।

(iii) डीबीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) नियमावली, 2002 में प्रावधान है कि बोर्ड गतिविधियों की निगरानी के लिए सामान्यतः दो महीने में एक बार बैठक करेगा। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई चार[2] वर्ष की अवधि के दौरान केवल चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं थीं। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड आवश्यकतानुसार नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए दो महीने में एक बार बैठक करनी होती है।

(iv) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में प्रावधान है कि बोर्ड पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का संपूर्ण ब्योरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखा जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई हैं और बोर्ड के प्रमाणित लेखे (वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22) राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि 2021-22 तक वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी। आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा, व्यय के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार यह किसी संगठन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना नहीं की थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा बोर्ड की कोई लेखापरीक्षा भी नहीं की गई है। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड ने

[2] 14.06.2019, 07.07.2020, 21.01.2021 और 01.08.2022

तुलन-पत्र, आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान लेखाओं को तैयार करने के लिए एक सनदी लेखाकार (सी.ए.) को काम पर रखा है। आगे यह भी कहा गया कि सी.ए. आंतरिक लेखापरीक्षक की भूमिका निभाता है और वित्त, उपकर संग्रहण, उपकर निवेश और कल्याणकारी योजनाओं जैसी विभिन्न गतिविधियों की सामान्य जांच करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखाओं की तैयारी के दौरान की जाने वाली जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा अलग-अलग हैं।

सिफारिश 9: बोर्ड को नियमित अंतराल पर बैठक करनी चाहिए ताकि मार्गदर्शन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के कार्य और उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभाए जा रहे हैं।

सिफारिश 10: सरकार अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा भी प्रारंभ कर सकती है।

(रोली शुक्ला माल्गे)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 05 जून 2025